

**अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश****टैगोर छात्रावास, क्रमांकटी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002**

☎ (+91) 755-2660441 ✉ dte[dot]helpcenter[at]mp[dot]gov[dot]in |

**//सूचना//**

1. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश 10+2 की 10 वीं परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर किये जायेंगे तथा समस्त संकायों के पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष रहेगी ।
2. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर / एकलव्य योजना के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश 10+2 की 10 वीं परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर किये जायेंगे तथा समस्त संकायों के पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष रहेगी ।
3. लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश / वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश 10+2 की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में दो अथवा उससे अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर अथवा 10+2 की बारहवीं परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर एकजाई मेरिट सूची तैयार कर किये जायेंगे।

सत्र 2025-26 के लिए इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध है।

Digitally signed by

Veerendra Kumar

Date: 09-05-2025

13:18:57

**[प्रो.(डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]**

संचालक तकनीकी शिक्षा,

मध्यप्रदेश